UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

पत्रांक : 426/30/E-1/DR(E.S.)/2016-17 दिनांक : 28 जनवरी, 2020

विज्ञप्ति

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा–2018

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा–2018** हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/ESO(DR)/E-1/2018 दिनांक 30 अगस्त, 2018 एवं विज्ञप्ति संख्या : 203/30/E-1/DR(ES)/2016-17 दिनांक 01 सितम्बर, 2019 के सापेक्ष दिनांक 17 नवम्बर, 2019 को आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 131/07/गोपन–02/अ0सं0अधि0प0–18 /2019–20, दिनांक 27 जनवरी, 2020 द्वारा घोषित किया गया है।

2– मुख्य परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से साक्षात्कार परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी अभिलेख मंगाये जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।

साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के पूर्व भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, प्रिंटआउट के साथ, अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक/आरक्षण/अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, **दिनांक 12 फरवरी, 2020 (बुधवार)** की सायं 6.00 बजे तक (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, आयोग भवन, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें :–

- (i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
- (ii) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
- (iii) स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।
- (iv) परास्नातक उपाधि एवं अंक तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।
- (v) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सांख्यिकीय में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (यदि लागू हो)।
- (vi) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
- (vii) स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
- (viii) यदि अभ्यर्थी सेवायोजित हैं, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (ix) यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक हैं, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
- (x) अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाणपत्र, जिसका ऑनलाइन आवेदन में दावा किया हो।
- (xi) एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि, जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो, की अंकतालिका एवं उपाधि। (यदि लागू हो)
- (xii) कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उसके समकक्ष या उससे उच्च स्तर की उपाधि, जिसका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो।

(xiii) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो उक्त के संबंध में शपथ पत्र।

3– आरक्षण के दावे की पुष्टि जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। (शासनादेश : 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र** प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।)

4– जिन अभ्यर्थियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है अथवा उक्त श्रेणी का दावा किया गया है, उक्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा किये गये दावे के समर्थन में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से संबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

5– ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करने व समस्त अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

i	ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	29 जनवरी, 2020 **(बुधवार)**
ii	ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	12 फरवरी, 2020 **(बुधवार)**
iii	ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि	12 फरवरी, 2020 **(बुधवार)**

6– अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र के लिफाफे पर "Economics & Statistics Officer Exam-2018" एवं अनुक्रमांक का अंकन अवश्य करें।

7– ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक **12 फरवरी, 2020 (बुधवार)** की सायं 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मा0 आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

-SD-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।